न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—05 / 2021 / 223 आर.टी.एक्ट (2021 / 05)

1. देवीलाल उर्फ देवी (मृतक) जरिए विधिक वारिसानः—
   1 / 1 श्रीमती गीतादेवी पत्नी स्व0 देवीलाल उर्फ देवी
   1 / 2 भवानीशंकर शर्मा पुत्र स्व0 देवीलाल उर्फ देवी
   1 / 3 सुशीला देवी उर्फ टिंकू पुत्री स्व0 देवीलाल उर्फ देवी
   1 / 4 अरूणा पुत्री स्व0 देवीलाल उर्फ देवी
   1 / 5 सुशीला पुत्री स्व0 देवीलाल उर्फ देवी
   1 / 6 निर्मला पुत्री स्व0 देवीलाल उर्फ देवी
   1 / 7 यशोदा पुत्री स्व0 देवीलाल उर्फ देवी
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी ग्राम कुण्ड का लाम्बा शेरगढ मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. भगवती प्रसाद पुत्र रामसुख
2. मधुसुदन पुत्र रामसुख
3. विष्णु पुत्र रामसुख
   समस्त जाति गुर्जर गौड निवासी ग्राम कुण्ड का लाम्बा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

4. राजेन्द्र सिंह पुत्र किशनसिंह
5. नौरतसिंह पुत्र किशनसिंह
6. घीसूसिंह पुत्र किशनसिंह
   समस्त जाति दरोगा निवासी ग्राम कुण्ड का लाम्बा तहसील मसूदा जिला अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (भूमिधारक) मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2002 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 158 / 2002.

उपस्थितः—

1. श्री शशिकांत जोशी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्रसिंह रावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 7
4. रेस्पोडेंट संख्या 4 से 6 तलबी बंद

निर्णय

दिनांकः—24.09.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 158/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2002 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि असल रेस्पोडेंटस/वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष विरूद्ध तरतीबी रेस्पोडेंटस/प्रतिवादीगण के एक राजस्व वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने असल रेस्पोडेंटस/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दिनांक 12.8.2002 को संख्या 158/2002 पर दर्ज रजिस्टर कर उसी रोज प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी फरमाए। असल रेस्पोडेंटस ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.2002 के आधार पर आज दिनांक तक रास्ते को अवरूद्ध नहीं किया था किंतु अभी हाल ही में रास्ता बंद करने लगे तब अपीलांट को उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई जिससे प्रभावित एवं व्यथित होकर अपीलांट प्रश्नगत अपील, प्रस्तुत करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के साथ न्यायालय के समक्ष विधिक आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 158/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2002 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाब्ता दीवानी पर निवेदन किया कि अपीलांट खसरा संख्या 2604/1152 रकबा 0.7605 है0 भूमि में आधे हिस्से का खातेदार कृषक है एवं रास्ते की भूमि का खसरा संख्या 1154 अपीलांट की भूमि के बिल्कुल समीपस्थ है जिसमें से ही अपीलांट अपनी जोत में आवागमन करता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता अपीलांट के पास मौजूद नहीं है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, मसूदा ने अन्य खसरों की भूमि के साथ—साथ रास्ते की आराजी खसरा संख्या 1154 पर भी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी अपने विधि विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.2002 से असल रेस्पोडेंटस/वादीगण को प्रदान किए है। चूंकि असल रेस्पोडेंटस ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.12.2002 के आधार पर आज दिनांक तक रास्ते को अवरूद्ध नहीं किया था किंतु अभी हाल ही में रास्ता बंद करने लगे तब अपीलांट को उक्त निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई जिससे प्रभावित एवं व्यथित होकर अपीलांट प्रश्नगत अपील, अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के साथ न्यायालय के समक्ष ठोस विधिक आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को माननीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुये प्रस्तुत अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा किए गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए वह किसी भी रूप से सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध तरतीबी रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तरतीबी रेस्पोडेंट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए वादी/रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2002 से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से न्यायालय हाजा के समक्ष कथन किया कि अपीलांट खसरा संख्या 2604/1152 रकबा 0.7605 है0 भूमि में आधे हिस्से का खातेदार कृषक है एवं रास्ते की भूमि का खसरा संख्या 1154 अपीलांट की भूमि के बिल्कुल समीपस्थ है जिसमें से ही अपीलांट अपनी जोत में आवागमन करता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता अपीलांट के पास मौजूद नहीं है, परंतु अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किसी दस्तावेजात का उल्लेख नहीं किया गया है। जिससे अपीलांट उक्त प्रकरण में व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में आता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नहीं थे व ना ही उक्त अपील के माध्यम से उन्होंने न्यायालय हाजा को इस बाबत स्पष्ट रूप से बताया है कि वह किस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2002 से किस प्रकार प्रभावित हुए है।

अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार हीं नहीं थे तो किस आधार पर उनके हक अधिकार प्रभावित हो रहे है या वे उक्त आदेश से किस प्रकार पीडित है। चूंकि यह प्रार्थी पर निर्भर करता है कि यदि वह किसी प्रकार से पीडित है तो न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर अपना उपचार मांग सकता है। अपीलांट के उक्त आराजीयात बाबत किस प्रकार से हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष यह साबित नहीं कर पाए है, केवल प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है।

चूंकि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष थर्ड पार्टी के रूप में अपील प्रस्तुत की गई है तथा अपीलांट यह नहीं बता पाए हैं कि उनके द्वारा न्यायालय हाजा में थर्ड पार्टी के रूप में किन विधिक आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उनके किस प्रकार से हित प्रभावित हुए है या वह किस प्रकार से उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में आते है। इस बाबत अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से वह

बताने में असमर्थ रहे है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2002 में अपीलांट पक्षकार ही संयोजित नहीं थे तो वे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। चूंकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 में ऐसे कोई समुचित कारण अंकित नहीं किए है व ना ही किसी प्रकार के कोई समुचित दस्तावेजात प्रस्तुत किए हैं, जिससे वह पीडित व व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आते हो।

हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया।

2020 आर0बी0जे0 पेज 569

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– धारा 96–: *जब अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहे कि निर्णय का उन पर किस प्रकार से विपरीत प्रभाव पडेगा जिसके कारण से वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, व आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकारी है, अपीलांट व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते है इस कारण अपील करने के दिया गया उनका प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।*

अवलोकन किए जाने के पश्चात उक्त न्यायिक नजीर प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णरूप से चस्पा होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

अतः अपीलांट का प्रस्तुत अपील में किसी भी तरह से विधिक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी.खारिज कर उन्हें उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं कर अपील प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

7. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. खारिज किये जाने से अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 158/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.12.2002 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर